

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि0न0 317 / 2025

1. सीताराम पि0 अमरसिंह पुत्र हरचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ
वादीगण
2. राजपाल रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

बनाम्

1. अमरसिंह पुत्र हरचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान रामपुरा उर्फ
2. सुगना पत्नी अमरसिंह रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. ममता देवी पत्नी चन्दन सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी गगुआ तहसील व जिला हिसार।
4. सन्तोष पत्नी मागेराम जाति कुम्हार(प्रजापति)निवासी पोहड़का तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
प्रतिवादीगण
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

डिक्री

दिनांक 24/7/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के
समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय
हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर
साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती
है क. वादी सं0 1 सीताराम को प्राप्त आराजी - चक्रनं0 7 एजी के प0न0 220/356
मु0 19 किलानं0 21, 22, 23/0.759 है0

ख. वादी सं0 2 राजपाल को प्राप्त आराजी - चक्रनं0 7 एजी के प0न0 220/356 मु0

19 किलानं0 18,19,20/0.759 है0

ग. प्रतिवादीसं0 1 अमरसिंह को प्राप्त आराजी- चक्रनं0 7 एजी के प0न0 220/356 मु0

19 किलानं0 16/1/0.25 गै0मु0 खाला, 16/3/0.165 है0 कमाण्ड, 17/253,

24/1/.116, 25/1/0.25 है0 गै0मु0 खाला उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1

को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम किया जाकर

वादीगण का प्रतिवादीगण से खाता तकसीम कर रकभराज अलग से कायम किये जाने

के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि

कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को

यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार

राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से

जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी
(सत्यनारायण आर.एस.)
पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।